XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3566–दो/14

जिला – उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.4.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 54/अपील/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29–9–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्व में जारी स्थगन आदेश को समाप्त किया गया है । 2– दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में अनावेदक की तलबी तक के लिए यथास्थिति के आदेश दिए गए थे, जिसे आलोच्य आदेश द्वारा अनावेदक के उपस्थित हो जाने के कारण समाप्त किया गया है और प्रकरण उनके जबाव हेतु नियत किया गया । स्थगन देना या न देना न्यायालय का विवेकाधिकार है । ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । आवेदक स्थगन के बिंदु पर नये सिरे से अपनी बात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है । 3– उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हों । सदस्य	

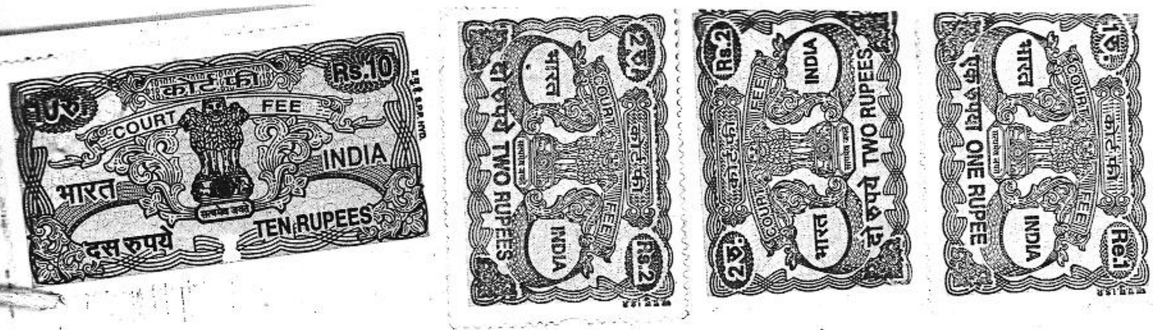

मानननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांकः– /2013–14 निगरानी 3566/III/14

16-10-14 को ... समक्ष

16.10.14

22-10-14

कैलाशसिंह चौहान पिता श्री घासीरामजी चौहान, आयु – लगभग 42 वर्ष, व्यवसाय – कृषि एवं व्यापार, निवासी – 1, क्षपणक मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन (म0प्र0)

— आवेदक/अपीलार्थी

<u>विरूद्ध</u>

1– यशोमति पोरवाल पति रामविलास पोरवाल, आयु – लगभग 60 वर्ष, व्यवसाय – गृहकार्य, निवासी – भोपाल

2– म0प्र0 शासन

— अनावेदक/प्रत्यर्थीगण